तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
03/03/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० [illegible] बहस पत्रावली दिनांक 07/03/25 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी [illegible] (सदर)
07 03/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वकील उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी। हमने वकील उभय० बहस सुनी वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 12/03/25 को पेश हो। [उप खण्ड अधिकारी [illegible]]
12/03/25	[illegible] पत्रावली पेश हुई [illegible] ए सम्मन/R.C. [illegible] अस्त होने से [illegible] गुड आदेश की [illegible] 25/03/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
25 3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। वादपत्र, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब, काउन्टर क्लेम एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर वादी वाद दावा घोषणा सहखातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज खतौनी व स्थायी निषेधाज्ञा व तकासमा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा० 3 द्वारा पेश काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक रूप से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बाँदीकुई को तहरीर जारी हो। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल- [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुआर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 25/3/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या :–16/2012
प्रकरण दायर दिनांक:– 10.02.2012
प्रकरण निर्णय दिनांक:– 25.03.2025

उनवान

1. रामधन पुत्र भूरया (फौत के बजाय)
1/1 शांति देवी पत्नी स्व. रामधन उम्र 70 वर्ष
1/2 गौणा देवी पुत्री स्व. रामधन उम्र 50 वर्ष
1/3 बाबूलाल पुत्र रामधन (फौत के बजाय)
1/3/1 सरोज देवी पत्नी स्व. बाबूलाल उम्र 40 वर्ष
1/3/2 नीरू पुत्री स्व. बाबूलाल
1/3/3 निरमा पुत्री स्व. बाबूलाल
1/3/4 हंसराज पुत्र स्व. बाबूलाल
1/3/5 नीतू पुत्री स्व. बाबूलाल
1/4 छुट्टन लाल पुत्र स्व. रामधन
1/5 ममता देवी पुत्री स्व. रामधन
समस्त जातियान मीना निवासी भांवता तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. किशन्या उम्र 56 वर्ष पुत्र प्रभात्या
2. लटूरिया पुत्र प्रभात्या (फौत के बजाय)
2/1 श्रीमती काली देवी पत्नी स्व. लटूरिया
2/2 रामकेश पुत्र स्व. लटूरिया
2/3 राजाराम पुत्र स्व. लटूरिया
2/4 लोकेश पुत्र स्व. लटूरिया
2/5 पिंकी पुत्री स्व. लटूरिया
2/6 सुमन पुत्री स्व. लटूरिया
2/7 हरिमोहन पुत्र स्व. लटूरिया
समस्त जाति मीना निवासी भांवता तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान
3. हीरा उर्फ हारया दत्तक पुत्र बद्री प्राकृतिक पिता भूरया जाति मीणा निवासी भांवता तह. बसवा जिला दौसा
4. श्रीमान उपपंजीयक अधिकारी जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बसवा जिला दौसा
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय बसवा जिला दौसा

Scanned with OKEN Scanner

दावा सहखातेदारी घोषणा, दुरूस्थी इन्द्राज खातेदारी व
स्थायी निषेधाज्ञा एवं तकास्मा

निर्णय दिनांक 25.03.2025

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा सहखातेदारी ,दुरूस्थी इन्द्राज खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा व तकास्मा जर्ये वकील श्री एन. के सिलोटिया के इस आशय से पेश किया है कि ग्राम रामा भांवता तहसील बसवा जिला दौसा मे स्थित काश्त खतौनी संख्या नई 22 पुरानी 20 खसरा नंबर 198, 199, 200, 201, 202, 203, 609 ,618, 624, 634, 895, 469 कुल किता 12 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित भूमि पैरा नं. 1 वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 एवं अर्जुन पुत्र भूरया का नाम दर्ज है, अर्जुन पुत्र भूरया अविवाहित था अर्जुन, वादी व प्रतिवादी नं. 3 का भाई एवं अप्रार्थी नं. 1 व 2 का चाचा है ।अर्जुन पुत्र भूरया का दिनांक 07.01.2012 को स्वर्गवास हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 अर्जुन की खातेदारी भूमि मुतदाविया में हिस्सा 1/3 में भी वारिसान है। उक्त वर्णित भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 एवं अर्जुन की कब्जेकाश्त की पैतृक भूमि है इस भूमि मुतदाविया में वादी के 1/3 हिस्से पर काबिज होकर एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादी नं. 1 व 2, 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है एवं अर्जुन 1/3 हिस्से पर काबिज होकर कब्जे काश्त करता चला आ रहा था। उपरोक्त भूमि मुतदाविया वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1, 2 की मौरूसी पैतृक अविभाजित पारिवारिक सम्पत्ति है। वादपत्र में अंकित सिजरे एवं कब्जे के अनुसार भूमि मुतदाविया पर 1/3 हिस्से पर वादी एवं 1/3 हिस्से प्रतिवादी नं. 1 व 2 कब्जे काश्त करते चले आ रहे है एवं अर्जुन 1/3 हिस्से काश्त करता चला आ रहा था। सिजरा खानदान एवं कब्जे अनुसार भूमि मुतदाविया पर 1/3 हिस्से पर वादी एवं 1/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 काश्त चले आ रहे है एवं अर्जुन पुत्र भूरया 1/3 हिस्से पर काश्त चला आ रहा था। अर्जुन पुत्र भूरया अविवाहित फौत हो जाने के कारण एवं कब्जे अनुसार भूमि मुतदाविया पर 1/2 हिस्से पर वादी 1/2 हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है एवं इस अमर की घोषणा वादी अपने हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण के कराने के एवं भूमि मुतदाविया के बाबत खतौनी भूमि मुतदाविया में अपना नाम बतौर सहखातेदार हिस्सा 1/2 दर्ज करवाकर दुरूस्ती इन्द्राज सरकारी रिकॉर्ड खतौनी आदि में करवाने के अधिकारी है। सिजरा खानदान के अनुसार धोकल्या पुत्र भज्जू के पुत्र भूरया था एवं भूरया के चार पुत्र कमशः प्रभात्या जो फौत हो चुका है जिसके प्रभात्या के दो पुत्र प्रतिवादी नं. 1 किशना व प्रतिवादी नं. 2 लटूरिया है, वादी रामधन, अर्जुन अविवाहित था जो दिनांक 07.01.2012 को फौत हो चुका है एवं प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया था। सिजरा खानदान अनुसार रामकुंवार पुत्र सेवा के पुत्र बद्री था बद्री लाऔलाद था बद्री ने भूरया

Scanned with OKEN Scanner

के चार पुत्र प्रभात्या, हीरा उर्फ हारया, अर्जुन, रामधन में से भूरया का पुत्र प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया , भूरया से गोद ले लिया और प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया, बद्री पुत्र रामकुँवार के गोद चला चला गया और बद्री प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया का दत्तक पिता बन गया व प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया के बदी दत्तक पिता के गोद चले जाने के बाद भूरया पुत्र धोकल्या के वारिसान को प्राप्त होने वाली सम्पत्ति भूमि मुतदाविया में से प्रतिवादी 3 हीरा उर्फ हारया के समस्त हक अधिकारात हिस्सा समाप्त हो गये और प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया के दत्तक पिता बद्री के फौत हो जाने पर बद्री की समस्त खातेदारी भूमि बदी का वारिस दत्तक पुत्र प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया के नाम दर्ज हो गई जिसकी खातेदारी मामान्तकरण संख्या 42 प्रमाणित सिजरा खानदान गोद गया। भूमि मुतदाविया जिसका पुराना (तत्कालीन) खातेदारी वादी के दादाजी धोकल्या पुत्र भज्जू के नाम दर्ज थी जिसकी खतौनी संख्या 43 खसरा नं. 750, 1131, 1178, 1185, 1281, 1282 संवत् 1994 में दर्ज थी जिसकी सत्य प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ संलग्न है एवं उक्त भूमि मुतदाविया की धोकल्या वल्द भज्जू की उक्त भूमि मुतदाविया की संवत् 1998, संवत् 1999 की संवत् सुमार नं. 78 फाटबंदी राजसवाई 1998, 1999 की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है। इसके पश्चात धोकल्या पुत्र भज्जू की मृत्यु के पश्चात धोकल्या पुत्र भज्जू के वारिसान अर्थात् धोकल्या का पुत्र भूरया के नाम खातेदारी दर्ज थी जिसे राजा सवाई जयपुर फाटबंदी संवत् 2001 में नंबरशुमार 79 में दर्ज हुयी है जिसकी सत्य प्रतिलिपि संलग्न है। इसके पश्चात भूरया पुत्र धोकल्या की मृत्यु के पश्चात भूरया के पुत्र प्रभात्या रामधन वादी, एवं अर्जुन के नाम भूमि मुतदाविया में खातेदार एवं प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया दत्तक पिता बदरी के दर्ज हुये भूमि मुतदाविया उक्त जमाबंदी संवत् 1994 खतौनी संख्या 43 के खसरा नंबर भूमि बंदोबस्त के पश्चात संवत् 2003 में नये खसरा नंबर 909, 1354, 1408, 1409, 1410, 1417, 1513, 1514, 1515 बनाये गये जिसकी खतौनी बंदोबस्त निजामत दौसा संख्या नंबर खाता 121 संवत् 2003 में प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया, अर्जुन, वादी रामधन, प्रभात्या के नाम दर्ज हुयी जिसकी सत्य प्रतिलिपि व मिलान क्षेत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया को बदरी पुत्र रामकुंवार ने भूरया पुत्र धोकल्या से गोद ले लिया था। प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया दत्तक पिता बद्री पुत्र रामकुंवार के गोद चले जाने के पश्चात भी इस खतौनी में अपना नाम प्रतिवादी नं. 3 में बदनियती पूर्वक गलत तरीके से दर्ज करवाया। इसके पश्चात भूमि मुतदाविया की उक्त जमाबंदी संवत् 2003 के खसरा नं. 909, 1354, 1408, 1409, 1410, 1417, 1513, 1514, 1515 के भूमि एकीकरण के पश्चात नये खसरा नंबर 504, 562, 614, 617, 625, 576 बनाये गये जिसकी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग खतौनी क.संख्या 112 एवं संख्या नंबर खाता 152 संवत् 2017 में उक्त जमाबंदी (खतौनी) संवत् 2003 के अनुसार दर्ज किये गये। इस भूमि मुतदाविया में प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया का किसी भी प्रकार का हिस्सा या सरोकार नहीं है। वादी भूमि मुतदाविया पर

Scanned with OKEN Scanner

1/3 हिस्सा का उपयोग उपभोग कर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। प्रतिवादी नं. 3 का भूमि मुतदाविया में कोई संबंध सरोकार नहीं है। जिससे राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं. 3 का नाम हजफ करने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। इसके पश्चात भूमि बंदोबस्त का कार्य शुरू हो गया एवं इस दौरान बंदोबस्त में भूमि मुतदाविया की उक्त भूमि एकीकरण जमाबंदी कम संख्या 112 एवं संख्या नंबर खाता संख्या 152 संवत् 2017 के नये खसरा नंबर 198 लगायत 203, 609, 618, 624, 634, 895, 469, बनाये गये जिसकी खतौनी संख्या नई 22 पुरानी 20 संवत् 2052 के 2067 तक तैयार हुई इस खतौनी में प्रभात्या के वारिसान किशना (प्रतिवादी नं. 1), लदूरिया (प्रतिवादी नं. 2) एवं पूर्व की भांति हीरा उर्फ हारया (प्रतिवादी नं. 3)रामधन वादी एवं अर्जुन जो कि अविवाहित था का नाम दर्ज किया गया है। भूमि मुतदाविया पर हिस्सा 1/3 पर वादी रामधन पूर्वज के समय से ही लगातार कब्जा कर काश्त करते चले आ रहे है एवं मकानात भी बना रखे है एवं उक्त भूमि में अपनी लागत से कुआं व बोरिंग का निर्माण भी कर रखा है। वादी रामधन का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होने से उक्त भूमि के वादी रामधन 1/3 हिस्सा भूमि मुतदाविया में हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है एवं उक्त भूमि मुतदाविया में सहखातेदार अर्जुन पुत्र भूरया अविवाहित था और अविवाहित रहते हुये अर्जुन की मृत्यु दिनांक 07.01.2012 को हो गयी है। भूमि मुतदाविया में सहखातेदार अविवाहित अर्जुन के फौत हो जाने के कारण अर्जुन के वैध वारिसान वादी रामधन एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 है, प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया दत्तक पुत्र बद्री, अर्जुन का वैध वारिसान नहीं है एवं भूमि मुतदाविया में प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया दत्तक पुत्र बद्री का कोई हक, हिस्सा अधिकार नहीं है प्रतिवादी नं. 3 ने दत्तक पिता बद्री की सम्पत्ति में खाते में दर्ज हुई। इसलिये भूमि मुतदाविया में अर्जुन की खातेदारी हिस्से में वैध वारिसान वादी रामधन का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होने के अधिकारी है इस तरह से वादी रामधन सम्पूर्ण भूमि मुतदाविया में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। भूमि मुतदाविया में वादी रामधन की पैतृक सम्पत्ति प्राप्त होने के बाद खातेदारी की जमाबंदी 2003 में दर्ज है से भूमि मुतदाविया में हिस्सा 1/3 कब्जा कर काश्त भूमि मुतदाविया पर चला आ रहा है एवं उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं अर्जुन भूमि मुतदाविया में 1/3 हिस्सा का सहखातेदार होने के कारण अर्जुन के वैध वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 अर्जुन की खातेदारी की भूमि में 1/2 हिस्सा वादी रामधन एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 बतौर खातेदार काश्तकार है व अपने हक में घोषणा करवाने के अधिकारी है इस तरह से सिजरा खानदान के अनुसार एवं प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया, बद्री पुत्र रामकुंवार के गोद जा चुके होने से भूमि मुतदाविया में प्रतिवादी संख्या 3 हीरा उर्फ हारया, बद्री पुत्र रामकुंवार के गोद जा चुके होने से भूमि मुतदाविया में प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया का कोई हिस्सा

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार नहीं होने से एवं अर्जुन के वैध वारिसान वादी रामधन होने के कारण भूमि मुतदाविया में वादी रामधन हिस्सा 1/2 पर नाम बतौर खातेदार दर्ज होना जरूरी है। भूमि मुतदाविया पर वादी का कब्जा 1/5 हिस्सा पर भूमि मुतदाविया पर शुरू से चला आ रहा है इसलिये सरकारी रिकॉर्ड को देखने की आवश्यकता नहीं रही लेकिन जब दिनांक 19.01.2012 को जमाबंदी की नकल लेने पर प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया का नाम गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने के लिये प्रतिवादी नं. 3 को बताया तो सदैव की भांति दिनांक 21.01.2012 को भूमि मुतदाविया पर वादी रामधन गया तो प्रतिवादीगण आमादा फिसाद हो गये एवं ऐलानिया कहा कि जमीन हमारी है अगर भूमि पर आया तो काश्त नहीं करने देंगे तुम्हारी फसल काट कर ले जावेंगे एवं संगीन वारदात करेंगे उसी दिन वादी ने हिस्सा अनुसार खतौनी में प्रतिवादी नं. 3 का नाम हजफ करवाकर दुरूस्ती करने बाबत इन्द्राज दुरूस्ती कराने बाबत एवं अर्जुन की खातेदारी भूमि में नामान्तकरण वादी दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी नं. 1, 2 से तकारमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये एवं ऐलानिया कहा कि अगर ज्यादा करोगे तो जमीन को बेच देंगे रहन कर देंगे किसी दीगर सख्स को हस्तान्तरित कर देंगे और अर्जुन की खातेदारी भूमि मुतदाविया में अपना नाम दर्ज करवायेंगे क्योकि गलत इन्द्राज ही सही हमारे नाम तो है तेरा नाम दर्ज नहीं होने देंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो वादी को भारी नुकसान अजीम होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है वादी रामधन के हकूक जाया होंगे एवं दरमियान पक्षकारान गैर जरूरी मुकदमात चल पडेगे जो बाय से बरबादी वादी होंगे ऐसी सूरत में वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध तुरंत ही दावा हाजा करना लाजिम आया। बिनाय दावा व बिनाय मुखासमत दिनांक 19.01.2012 को गलत इन्द्राज की जानकारी होने से एवं दिनांक 21.01.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा मजाहमत करने, काश्त नहीं करने देने व दुरूस्ती इन्द्राज से साफ इंकारी करने एवं भूमि मुतदाविया के हस्तान्तरण की ऐलानिया धमकी से अंदर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुयी है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात दावा वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिक्री फरमाया जावें कि वाद पत्र में वर्णित अविवाहित लाऔलाद सहखातेदार अर्जुन के फौत होने पर अर्जुन का वारिसान होने के कारण अर्जुन की भूमि मुतदाविया में खातेदारी हिस्से में वादी 1/2 हिस्से का हकदार है व हिस्से नाम बतौर खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है एवं भूमि मुतदाविया पूर्वजो की उक्त भूमि खातेदारी हीरा उर्फ हारया दत्तक पिता बद्री के गोद जा चुका है इसलिये इस भूमि मुतदाविया में हीरा उर्फ हारया दत्तक पुत्र बद्री का कोई हक हिस्सा अधिकार सरोकार नहीं है इस प्रकार से वादी भूमि मुतदाविया खसरा नं. 198, 199, 200, 201, 203, 609, 618, 624, 634, 895, 469 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर लगानी 72 रूपये 61 पैसे स्थित रामा भांवता तहसील बसवा जिला दौसा में वादी हिस्सा 1/2 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार है व इस अमर की घोषणा न्यायालय हाजा

Scanned with OKEN Scanner

1/3 हिस्से को उपयोग उपभोग कर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। प्रतिवादी नं. 3 का भूमि मुतदाविया में कोई संबंध सरोकार नहीं है। जिससे राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं. 3 का नाम हटाये करने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। इसके पश्चात भूमि बंदोबस्त का कार्य शुरू हो गया एवं इस दौरान बंदोबस्त में भूमि मुतदाविया की उक्त भूमि एकीकरण जमाबंदी कम संख्या 112 एवं संख्या नंबर खाता संख्या 152 संवत् 2017 के नये खसरा नंबर 198 लगायत 203, 609, 618, 624, 634, 895, 469, बनाये गये जिसकी खतौनी संख्या नई 22 पुरानी 20 संवत् 2052 के 2067 तक तैयार हुई इस खतौनी में प्रमाल्या के वारिसान किशना (प्रतिवादी नं. 1), लटूरिया (प्रतिवादी नं. 2) एवं पूर्व की भांति हीरा उर्फ हारया (प्रतिवादी नं. 3)रामधन वादी एवं अर्जुन जो कि अविवाहित था का नाम दर्ज किया गया है। भूमि मुतदाविया पर हिस्सा 1/3 पर वादी रामधन पूर्वज के समय से ही लगातार कब्जा कर काश्त करते चले आ रहे है एवं मकानात भी बना रखे है एवं उक्त भूमि में अपनी लागत से कुआं व बोरिंग का निर्माण भी कर रखा है। वादी रामधन का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होने से उक्त भूमि के वादी रामधन 1/3 हिस्सा भूमि मुतदाविया में हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है एवं उक्त भूमि मुतदाविया में सहखातेदार अर्जुन पुत्र भूरया अविवाहित था और अविवाहित रहते हुये अर्जुन की मृत्यु दिनांक 07.01.2012 को हो गयी है। भूमि मुतदाविया में सहखातेदार अविवाहित अर्जुन के फौत हो जाने के कारण अर्जुन के वैध वारिसान वादी रामधन एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 है, प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया दत्तक पुत्र बद्री, अर्जुन का वैध वारिसान नहीं है एवं भूमि मुतदाविया में प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया दत्तक पुत्र बद्री का कोई हक, हिस्सा अधिकार नहीं है प्रतिवादी नं. 3 ने दत्तक पिता बद्री की सम्पत्ति में खाते में दर्ज हुई। इसलिये भूमि मुतदाविया में अर्जुन की खातेदारी हिस्से में वैध वारिसान वादी रामधन का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार होने के अधिकारी है इस तरह से वादी रामधन सम्पूर्ण भूमि मुतदाविया में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। भूमि मुतदाविया में वादी रामधन की पैतृक सम्पत्ति प्राप्त होने के बाद खातेदारी की जमाबंदी 2003 में दर्ज है से भूमि मुतदाविया में हिस्सा 1/3 कब्जा कर काश्त भूमि मुतदाविया पर चला आ रहा है एवं उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं अर्जुन भूमि मुतदाविया में 1/3 हिस्सा का सहखातेदार होने के कारण अर्जुन के वैध वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 अर्जुन की खातेदारी की भूमि में 1/2 हिस्सा वादी रामधन एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 बतौर खातेदार काश्तकार है व अपने हक में घोषणा करवाने के अधिकारी है इस तरह से सिजरा खानदान के अनुसार एवं प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया, बद्री पुत्र रामकुंवार के गोद जा चुके होने से भूमि मुतदाविया में प्रतिवादी संख्या 3 हीरा उर्फ हारया, बद्री पुत्र रामकुंवार के गोद जा चुके होने से भूमि मुतदाविया में प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया का कोई हिस्सा

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार नही होने से एवं अर्जुन के वैध वारिसान वादी रामधन होने के कारण भूमि मुतदाविया में वादी रामधन हिस्सा 1/2 पर नाम बतौर खातेदार दर्ज होना जरूरी है। भूमि मुतदाविया पर वादी का कब्जा 1/3 हिस्सा पर भूमि मुतदाविया पर शुरू से चला आ रहा है इसलिये सरकारी रिकॉर्ड को देखने की आवश्यकता नहीं रही लेकिन जब दिनांक 19.01.2012 को जमाबंदी की नकल लेने पर प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया का नाम गलत इन्द्राज को दुरूस्थ करवाने के लिये प्रतिवादी नं. 3 को बताया तो सदैव की भांति दिनांक 21.01.2012 को भूमि मुतदाविया पर वादी रामधन गया तो प्रतिवादीगण आमादा फिसाद हो गये एवं ऐलानिया कहा कि जमीन हमारी है अगर भूमि पर आया तो काश्त नहीं करने देगे तुम्हारी फसल काट कर ले जावेंगे एवं संगीन वारदात करेंगे उसी दिन वादी ने हिस्सा अनुसार खतौनी में प्रतिवादी नं. 3 का नाम हजफ करवाकर दुरूस्ती करने बाबत इन्द्राज दुरूस्ती कराने बाबत एवं अर्जुन की खातेदारी भूमि में नामान्तकरण वादी दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी नं. 1, 2 से तकास्मा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये एवं ऐलानिया कहा कि अगर ज्यादा करोगे तो जमीन को बेच देगे रहन कर देंगे किसी दीगर सख्स को हस्तान्तरित कर देंगे और अर्जुन की खातेदारी भूमि मुतदाविया में अपना नाम दर्ज करवायेंगे क्योकि गलत इन्द्राज ही सही हमारे नाम तो है तेरा नाम दर्ज नहीं होने देंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो वादी को भारी नुकसान अजीम होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है वादी रामधन के हकूक जाया होगे एवं दरमियान पक्षकारान गैर जरूरी मुकदमात चल पडेगे जो बाय से बरबादी वादी होगे ऐसी सूरत में वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध तुरंत ही दावा हाजा करना लाजिम आया। बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत दिनांक 19.01.2012 को गलत इन्द्राज की जानकारी होने से एवं दिनांक 21.01.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा मजाहमत करने, काश्त नहीं करने देने व दुरूस्ती इन्द्राज से साफ इंकारी करने एवं भूमि मुतदाविया के हस्तान्तरण की ऐलानिया धमकी से अंदर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुयी है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात दावा वादी वर खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिक्री फरमाया जावें कि वाद पत्र में वर्णित अविवाहित लाऔलाद सहखातेदार अर्जुन के फौत होने पर अर्जुन का वारिसान होने के कारण अर्जुन की भूमि मुतदाविया में खातेदारी हिस्से में वादी 1/2 हिस्से का हकदार है व हिस्से नाम बतौर खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है एवं भूमि मुतदाविया पूर्वजो की उक्त भूमि खातेदारी हीरा उर्फ हारया दत्तक पिता बद्री के गोद जा चुका है इसलिये इस भूमि मुतदाविया में हीरा उर्फ हारया दत्तक पुत्र बद्री का कोई हक हिस्सा अधिकार सरोकार नहीं है इस प्रकार से वादी भूमि मुतदाविया खसरा नं. 198, 199, 200, 201, 203, 609, 618, 624, 634, 895, 469 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर लगानी 72 रूपये स्थित रामा भांवता तहसील बसवा जिला दौसा में वादी हिस्सा 1/2 हखातेदार काश्तकार है व इस अमर की घोषणा न्यायालय हाजा

Scanned with OKEN Scanner

से करवाने का अधिकारी है। इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में इस प्रकार से फरमायी जावें कि भूमि मुतदाविया पूर्वजो की खातेदारी भूमि है हीरा उर्फ हारया प्राकृतिक पिता भूरया से बद्री पुत्र रामकुंवार के हीरा उर्फ हारया गोद चला गया। हीरा उर्फ हारया दत्तक पुत्र बद्री गोद जाने के बाद भूमि मुतदाविया में हक अधिकार सरोकार नहीं रहा। प्रतिवादी नं. 3 ने इनके पूर्वजो की उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली ऐसी सूरत में राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया का नाम हजफ करने के आदेश फरमाये जावें एवं अमर की इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में फरमायी जावें। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं. 1 वाद पत्र में वादी के हिस्सा 1/2 के अनुसार कब्जे काश्त वादी में मजाहमत पैदा करने से एवं भूमि मुतदाविया को किसी दीगर सख्स को रहन बय करने से खाम या पुख्ता निर्माण करने से व प्रतिवादी नं. 4 प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा या बयनामा को पंजीकृत करने से व राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से दवामि तौर पर प्रतिबंधित रहें। उपरोक्त वर्णित भूमि का सरस नरस के हिसाब से तकास्मा किया जाकर वादी का 1/2 हिस्से का अलग से चक कायम किया जावें। व अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग खाता बनाया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये नोटिस विधिवत की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से एड. श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाह उपस्थित आये तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 के वारिसान संख्या 2/1 लगायत 2/4 की ओर से एड. श्री सुभाष चंद गुप्ता उपस्थित आये। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 ने जबाब दावा पेश कर अवगत करवाया कि जिम्मन नंबर एक वाद पत्र में वर्णित आराजीयात स्थित होना स्वीकार है जिम्मन नंबर 2 वाद पत्र गलत है स्वीकार नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 का पिता प्रभात्या तथा प्रतिवादी नंबर 3 व मृतक अर्जुन चारो खास भाई है प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के पिता प्रभात्या का स्वर्गवास पूर्व में ही हो जाने से हम प्रतिवादीगण के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज होकर खातेदारी में इन्द्राज किये जा चुके है प्रतिवादीगण नंबर 3 हीरया काफी वर्षो पूर्व ही बदरी के गोद चला गया जो कि अपने दत्तक पिता बदरी की सम्पत्ति पर काबिज है इस प्रतिवादी का नाम वादग्रस्त भूमि की खातेदारी से हजफ हो जाना चाहिये थे परंतु सहवन से आपसी कोई अविश्वास न होने से गलत व कानूनन शुन्य दर्ज चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात के वादी बहिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नंबर 1 व 2 बहिस्सा 1/3 व मृतक अर्जुन पुत्र भूरया बहिस्सा 1/3 वास्तविक तौर पर खातेदार काश्तकार है मृतक अर्जुन ने अपने जीवन काल में दिनांक 21.09.2010 को प्रतिवादी नंबर एक व दो के पक्ष में साक्षीगण ओमप्रकाश व गिर्राज के समक्ष अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति जमीन जायदाद रूपया जेवर आदि सभी की वसियत अपने भतीजे प्रतिवादी नंबर एक

Scanned with OKEN Scanner

व दो को बहिस्सा बराबर बराबर कर दी तथा मृतक अर्जुन ने प्रतिवादीगण नंबर एक व दो को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का समान भाग में वारिस घोषित किया तथा अपनी मृत्यु के बाद अपनी समस्त सम्पत्ति का समान भाग में वारिस घोषित किया तथा अपनी मृत्यु के बाद अपनी समस्त सम्पत्ति का उपयोग व उपभोग करने का अधिकार प्रतिवादी नंबर एक व दो को दिया इस वसियत की बाबत उक्त वसीयत कर्ता अर्जुन ने उसी दिन सौ रूपये का स्टाम्प मंगवा कर उपपंजीयक कार्यालय बसवा के परिसर में स्वेच्छा से बिना किसी दाब व दबाब के वसियत श्री महेश शर्मा से विधिवत तैयार करवा कर व सुन व स्वीकार करके साक्षीगण ओमप्रकाश व गिर्राज के समक्ष उनके देखते हुये अपनी अपनी निशानिया की है तथा साक्षीगण ओमप्रकाश व गिर्राज ने प्रतिवादी नंबर एक व दो व अर्जुन के समक्ष उसी समय उनके देखते हुये वसियत पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। उक्त अर्जुन पुत्र भूरया, वसियतकर्ता ने निस्पादित वसियत पत्र को पंजियन हेतु उपपंजीयक अधिकारी बसवा के समक्ष प्रस्तुत किया जो विधिवत पंजीबद्ध किया गया। उपरोक्त अर्जुन की मृत्यु हो जाने के पश्चात प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 अर्जुन के हिस्से 1/3 की भूमि के विधिक तौर पर खातेदार हो चुके है व मौके पर वादग्रस्त भूमि के 2/3 हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काबिज व उपयोग में है प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 ने अर्जुन की मृत्यु के पश्चात रजिस्टर्ड वसियत के आधार पर जब नामान्तकरण दर्ज करने के लिये आवेदन किया तो वादी ने झूठे तथ्यों पर सही तथ्यों को छिपाते हुये विधि विरूद्ध यह दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। जिम्मन नंबर 3 वादपत्र गलत है स्वीकार नहीं है वादी अपने 1/3 हिस्से कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 609, 198, 199 व 203 पर काबिज है तथा शेष वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण नंबर एक व दो अर्जुन सम्मिलित में काबिज रहे व काश्त करते रहे खसरा नंबर 201 में वादी व प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 की आबादी हो रही है अर्जुन की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 वादग्रस्त आराजी के 2/3 हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काबिज व काश्त कर रहे है आराजी खसरा नंबर 634 में प्रतिवादी नंबर 1 व 2 ने काफी पूर्व से अपनी लागत से बोरिंग कर विद्युत संबंध ले रखा है जिसके जरिये ये प्रतिवादीगण अपनी हिस्से खातेदारी की भूमि की फसलो की सिंचाई करते है खसरा नंबर 634 में ही प्रतिवादीगण नंबर एक व दो ने अपनी लागत से दो पक्के कमरे बना रखे है। जो रिहायश करने व उठने बैठने के काम में आ रहे है। प्रतिवादीगण नंबर एक व दो ने वर्तमान फसल में खसरा नंबर 618 व 624 में सरसों की 634 में बाडी, 895 में गेहूँ 465 में चने आदि की काश्त कर रखी है तथा खसरा नंबर 202 वर्तमान में खाली पडी है जो सामान चारा ईधन आदि रखने को प्रतिवादीगण नंबर एक व दो काम में ले रहे है। जिम्मन नंबर 4 वाद पत्र में केवल सिजरा इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि अर्जुन ने वादग्रस्त आराजीयात सहित अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का वारिस व उत्तराधिकारी जर्ये वसियत पत्र दिनांक 21.09.2010 प्रतिवादी नंबर एक व दो को बनाया है को दर्शाया नहीं

Scanned with OKEN Scanner

गया है जबकि वसीयत पत्र दिनांक 21.09.2010 की पूर्ण जानकारी वादी को शुरू से है। वादग्रस्त आराजीयात के 2/3 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण नंबर एक व दो उक्त अर्जुन के जीवन काल से ही अर्से जाईदाद 30 वर्ष से निरंतर काबिज है व काश्त कर रहे है। जिम्मन नंबर 5 वादपत्र गलत है स्वीकार नहीं है वादी अर्जुन पुत्र भूरया को 1/3 हिस्से खातेदारी की भूमि में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का विधिक तौर पर अधिकार नहीं है तथा न ही खतौनी में वादग्रस्त आराजीयात का 1/2 हिस्से का खातेदार होने का इन्द्राज कराने का ही अधिकारी है वादी वादग्रसत आराजीयात में 1/3 हिस्से का व प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 , 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार होने से खतौनी जमाबंदी में अपने नाम का इन्द्राज कराने के विधिक तौर पर अधिकारी है। जिम्मन नंबर 6 वादपत्र में यह स्वीकार है कि प्रतिवादी नंबर 3 के बदरी के गोद चले जाने से उसे वादग्रस्त सम्पत्ति में को हक प्राप्त नहीं रहे, तथा व बदरी का वारिस होने से उसके पक्ष में नामान्तकरण भी हो चुका है जिम्मन नंबर 7 वादपत्र में दर्ज तथ्यों की वादी को प्रमाणित करना है हम प्रतिवादीगण को जानकारी नहीं होने से अस्वीकार है। जिम्मन नंबर 8 वादपत्र जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है वादी को प्रमाणित करना है। जिम्मन नंबर 9 वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात भूरया के समय की होना व प्रतिवादी नंबर हीरया का बदरी पुत्र रामकुंवार के गोद चले जाने का तथ्य सही है खतौनी में जो प्रतिवादी नंबर 3 को सहखातेदार का इंद्राज किया हुआ है वह सहवन से आपस में कोई अविश्वास न होने के कारण दर्ज चला आ रहा है जिम्मन मे जो संवत् 1999 व 2003 व भूमि एकीकरण के समय के इन्द्राजात की बाबत जो उल्लेख किया गया है वह जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है दस्तावेज से संबंधित है जिन्हे वादी को प्रमाणित करना है वादी वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से पर बतौर सहखातेदार उपर वर्णित अनुसार काबिज है तथा प्रतिवादी नंबर 1 व 2 उपर लिखे अनुसार 2/3 हिस्से पर मौके पर बतौर खातेदार भौतिक तौर पर काबिज है व मुतसर्रिफ है भूमि बंदोबस्त के समय वादग्रस्त आराजीयात के नये नंबर कायम होना व जमाबंदी के इन्द्राजात का उल्लेख किया गया है। सही है। जिम्मन नंबर 10 वाद पत्र जिस प्रकार दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है अर्जुन ने अपने जीवनकाल में ही जर्ये रजिस्टर्ड वसियत दिनांक 21.09.2010 अपने समस्त हक हकूक वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी नंबर एक व दो को अपनी मृत्यु उपरांत सौप दिये वादी का अर्जुन के 1/3 हिस्से की भूमि से कतई कोई संबंध नहीं है तथा न वादी अर्जुन के 1/3 हिस्से की भूमि के आधे भाग का खातेदार काश्तकार होने का अधिकारी है तथा वादी सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी नहीं है। न न्यायालय से घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का सहखातेदार है। जिम्मन नंबर 11 वादग्रस्त जिस प्रकार दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है जिम्मन में दर्ज तथ्यों की बाबत उपर के जिम्मनों में जबाब दिया जा चुका है। वादी नं एक ही तथ्य को बार बार प्रत्येक जिम्मन

Scanned with OKEN Scanner

में दोहरा दिया है। वादी मृतक अर्जुन का वैध वारिस नहीं है तथा न वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग का खातेदार दर्ज होने का अधिकारी है। जिम्मन नंबर 12 वादपत्र कपोल कल्पित व बनावटी है झूठा वादकारण बनाने के लिये झूठे तथ्य दर्ज किये गये है। मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है व मौके पर न्यायालय के आदेश से तहसीलदार बसवा ने मौका निरीक्षण करवाकर मौके की स्थिति बाबत अपनी रिपोर्ट भी न्यायालय हाजा में भेज दी है। जिनकी नकल प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 ने तहसीलदार बसवा कार्यालय से प्राप्त की है जो संलग्न है इस रिपोर्ट से भी यह बखूबी प्रमाणित है कि मृतक अर्जुन की भूमि पर वसीयत ग्रहिता प्रतिवादी नंबर एक व दो का ही कब्जा है तथा अर्जुन अपने जीवन काल में काफी वर्षो पूर्व से ही प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के साथ रहकर अपना जीवन यापन करता था। वादी को किसी प्रकार की क्षति होने का कोई प्रश्न ही न हीं है। जिम्मन नंबर 13 वादपत्र गलत है स्वीकार नहीं है वादी को कोई बिनाये दावा व बिनाये मुखास्मत पैदा नहीं हुई है। रजिस्टर्ड वसियत पत्र को निरस्त करने का अधिकारी इस न्यायालय हाजा को नहीं है। केवल सिविल कोर्ट से ही ऐसा अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिवादीगण ने जबाब दावा के साथ काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अर्जुन पुत्र भूरया ने जर्ये रजिस्टर्ड वसियत पत्र दिनांक 21.09.2010 वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का वारिस व उत्तराधिकारी प्रतिवादी नंबर एक व 2 को घोषित किया है प्रतिवादीगण स्वयं के 1/3 हिस्से व अर्जुन पुत्र भूरया के जर्ये वसियत प्राप्त 1/3 हिस्से इस प्रकार कुल 2/3 हिस्से के वादग्रस्त आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार है व इस बाबत न्यायालय से घोषणा कराकर राजस्व भू अभिलेख खतौनी जमाबंदी में अपने नाम 2/3 हिस्से खातेदारी दर्ज कराने के विधिक तौर पर अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात का सरस नरस तकास्मा किया जाकर प्रतिवादीगण नंबर एक व दो के 2/3 हिस्से की भूमि का पर्चा खातेदारी अलग से कायम कराया जावे व लगान का विभाजन किया जावे व नक्शा ट्रेस में तरमीम कराई जावें। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जाकर काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नंबर एक व दो स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी में प्रतिवादी नंबर 1 व 2 को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर इन्द्राजात में दुरूस्ती की जावे व प्रतिवादी नंबर एक व 2 की 2/3 हिस्से की वादग्रस्त भूमि का सरस नरस विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण के 2/3 हिस्से की वादग्रस्त भूमि का अलग से पर्चा खातेदारी कायम कराया जावे व लगान का विभाजन जावे व नक्शा ट्रेस में तरमीम फरमाई जावें। वादी द्वारा जबाब उल जबाब, जबाब दावा प्रतिवादीगण दिनांक 28.02.2012 का प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का पिता प्रभाल्या तथा प्रतिवादी नं. 03 व मृतक अर्जुन चारो खास भाई है, प्रतिवादी नं. 3 हीरा उर्फ हारया बद्री के गोद चला गया है, जो अपने दत्तक पिता बद्री की सम्पत्ति पर काबिज है इस प्रतिवादी नं. 3 का वादग्रस्त भूमि की खातेदारी से नाम हज्ब होना

Scanned with OKEN Scanner

चाहिए था जो कानूनन शून्य दर्ज चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात के वादी बहिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 बहिस्सा 1/3 व मृतक अर्जुन बहिस्सा 1/3 वास्तविक तौर पर खातेदार काश्तकार है, स्वीकार है एवं शेष कथन विवरण गलत है एवं स्वीकार नही है। भूमि मुतदाविया, वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 व मृतक अर्जुन की संयुक्त अविभक्त पैतृक सम्पति है और मृतक अर्जुन ने अविभक्त पैतृक सम्पत्ति भूमि मुतदाविया की वसीयत नहीं की है प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने वसीयत गलत, कपट द्वारा प्राप्त किया है जो अवैध एवं शून्य व निष्प्रभावी है। वादी को वसीयत की जानकारी प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा पेश करने पर हुई प्रतिवादी नं. 1 व 2 मौके पर वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्से पर काबिज है। प्रतिवाद पत्र का पैरा नं. 03 जिस प्रकार दर्ज किया गया है, गलत है एवं स्वीकार नहीं है। वादी अपने हिस्से की भूमि खसरा नंबर 198, 199, 200, 201, 202, 203, 609 पर काबिज है और रिहायश है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 अपने हिस्से 1/3 भूमि खसरा नं. 634, 618, 624 पर काबिज है एवं खसरा नं. 634 पर रिहायश है एवं काबिज काश्त है। प्रतिवाद पत्र का पैरा नं. 04 जिस प्रकार दर्ज किया है गलत है एवं स्वीकार नहीं है प्रतिवादीगण ने नितान्त असत्य एवं बनावटी दर्ज किया है वादी का वाद पत्र पैरा नं. 04 पूर्णरूपेण सही है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 के बताए अनुसार कि मृतक अर्जुन ने दिनांक 21.09.2010 को वसीयत की थी तो अर्जुन की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने मृतक अर्जुन की वसीयत का सक्षम न्यायालय का प्रशासनिक प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। मृतक अर्जुन की वसीयत भूमि मुतदाविया बाबत नहीं है और भूमि मुतदाविया पैतृक सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती मात्र स्वयं के द्वारा कय की गयी सम्पत्ति की वसीयत की जा सकती है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 अर्जुन के जीवनकाल में अर्जुन की भूमि पर काबिज नहीं रहे और ना ही काश्त की। प्रतिवादी नं. 1 व 2 भूमि मुतदाविया में बहिस्सा 1/2 के अधिकारी है एवं वादी भूमि मुतदाविया में बहिस्सा 1/2 का अधिकारी है। प्रतिवाद पत्र का पैरा नं. 05 गलत एवं स्वीकार नहीं है वादी का वाद पत्र का पैरा नं. 05 पूर्णरूपेण सही है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 विधिक तौर पर भूमि मुतदाविया में बहिस्सा 1/2 एवं वादी भूमि मुतदाविया में बहिस्सा 1/2 है। प्रतिवाद पत्र का पैरा नं. 07 व 08 प्रतिवादीगण जिस प्रकार दर्ज है वह गलत है एवं स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का पैरा नं. 7, 8 पूर्णरूपेण सही एवं सत्य वास्तविक है वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2, मृतक अर्जुन की वर्तमान में भी संयुक्त अविभक्त पैतृक सम्पत्ति है। जो दस्तावेज से प्रमाणित है एवं जिसकी वादी व प्रतिवादीगण को पूर्ण जानकारी है। प्रतिवादी पत्र का पैरा नं. 09 में दर्ज किया है कि वादी वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्से पर, प्रतिवादी नं. 1 व 2 हिस्सो पर 2/3 पर मौके पर भौतिक रूप से काबिज है, जो कि यह कथन गलत है एवं स्वीकार नहीं है वादी का वाद पत्र का पैरा नं. 09 पूर्णरूपेण सही एवं सत्य है। मृतक अर्जुन की भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का बहिस्सा 1/2 है। प्रतिवाद पत्र का पैरा नं. 10, 11 जिस प्रकार

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण ने दर्ज किया है गलत एवं स्वीकार नहीं है वादी के वाद पत्र का पैरा नं. 10, 11 सही एवं वास्तविक है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 सक्षम न्यायालय से प्रशासनिक प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना वादग्रस्त अविभक्त पैतृक भूमि पर हिस्सा 2/3 प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है मात्र हिस्सा 1/2 प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवाद पत्र का पैरा नं. 12, 13 गलत है एवं स्वीकार नही है। प्रतिवादपत्र का पैरा नं. 14 में दर्ज प्रतिवादीगण का दर्ज कथन है कि न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होना स्वीकार है, जो सही है एवं शेष कथन गलत एवं स्वीकार नही है। वादग्रस्त भूमि में मृतक अर्जुन का हिस्सा अविभक्त पैतृक भूमि में है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का हिस्सा 1/2 है वादग्रस्त भूमि अविभक्त पैतृक सम्पत्ति है जिसकी वसीयत या दान नही किया जा सकता। वसीयत मात्र स्वयं की मेहनत की कमाई से स्वयं द्वारा अर्जित सम्पत्ति की जा सकती है जो कि मृतक अर्जुन के पास स्वयं की मेहनत से अर्जित सम्पत्ति है ही नहीं, लेकिन वसीयत पत्र में मेहनत से स्वयं अर्जित सम्पत्ति का हवाला दिया है जो कि मृतक अर्जुन के पास पूर्व में या मृत्यु के समय मेहनत से स्वयं अर्जित चल अचल सम्पत्ति विद्यमान नहीं है अर्थात् अस्तित्व में नहीं है। प्रतिवादीगण 1 व 2 के द्वारा अर्जुन से कराई वसीयत अवैध एवं शून्य है प्रतिवादीगण 1 व 2 के द्वारा सक्षम न्यायालय से दिनांक 21.09.2010 वसीयत पर प्रशासनिक प्रमाण पत्र या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना वादग्रस्त सम्पत्ति में हिस्सा 2/3 खातेदारी दर्ज कराने के विधिक तौर पर अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण नं. 01 व 02 वसीयत की आड में उक्त भूमि मुतदाविया में कपट से 2/3 हिस्सा प्राप्त करना चाहते है। जबकि वसीयत लागू नहीं होती है। काउण्टर क्लेम दिनांक 28.02.2012 जवाब वादी की ओर से प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि काउण्टर क्लेम का पैरा नं. 01 गलत है एवं अस्वीकार है। प्रतिवादीगण 1 व 2 के द्वारा सक्षम न्यायालय से दिनांक 21.09.2010 वसीयत पर प्रशासनिक प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना वादग्रस्त पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा 2/3 खातेदारी दर्ज कराने के विधिक तौर पर अधिकारी नहीं है। भूमि मुतदाविया वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 व मृतक अर्जुन की संयुक्त अविभक्त पैतृक सम्पत्ति है, मृतक अर्जुन ने अविभक्त पैतृक सम्पत्ति भूमि मुतदाविया की वसीयत नहीं की है और अविभक्त पैतृक संयुक्त सम्पत्ति की वसीयत या दान नहीं किया जा सकता है। वादी स्वयं के हिस्से 1/3 एवं मृतक अर्जुन के हिस्से पर 1/6 कुल भूमि मुतदाविया पर 1/2 एवं इसी तरह से प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का स्वयं की भूमि पर 1/3 व मृतक अर्जुन की भूमि पर 1/6 हिस्सा इस तरह से कुल हिस्सा 1/2 के अधिकारी है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 न्यायालय हाजा से अविभक्त पैतृक भूमि मुतदाविया में कानूनन 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज कराने के विधिक तौर पर अधिकारी है। काउन्टर क्लेम का पैरा नं. 2 गलत एवं अस्वीकार है। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 भूमि मुतदाविया में वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 हिस्सा 1/2 की भूमि पर्चा खातेदारी अलग से

Scanned with OKEN Scanner

काम कराया जाने एवं लगान का विभाजन किया जाने व नक्शा ट्रेस में तस्मीम कराने के अधिकारी है। भूमि मुतदाविया वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 एवं मृतक अर्जुन की पैतृक अविभाजित संयुक्त भूमि है। मृतक अर्जुन की मृत्यु के बाद उक्त भूमि मुतदाविया में वादी हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का भूमि मुतदाविया में हिस्सा 1/2 है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने उक्त वसीयत दिनांक 21.09.2010 सक्षम न्यायालय से कोई प्रशासनिक प्रमाण पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है इसलिये प्रतिवादीगण वसीयत के आधार पर मृतक अर्जुन का हिस्सा पाने में कानूनन अधिकारी नहीं है। मृतक अर्जुन की वसीयत भूमि मुतदाविया बाबत नहीं है और ना ही भूमि मुतदाविया का हवाला है। भूमि मुतदाविया पैतृक सम्पत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है एवं मात्र स्वयं के द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की वसीयत की जा सकती है। वादग्रस्त भूमि में मृतक अर्जुन का हिस्सा अविभक्त पैतृक भूमि में है। जिसमे वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का हिस्सा 1/2 है, वादग्रस्त भूमि अविभक्त पैतृक सम्पत्ति है, जिसकी वसीयत या दान नहीं किया जा सकता। वसीयत मात्र स्वयं की मेहनत की कमाई से स्वयं द्वारा अर्जित सम्पत्ति की जा सकती है जो कि मृतक अर्जुन के पास स्वयं की मेहनत से अर्जित सम्पत्ति है ही नहीं, लेकिन वसीयत पत्र में मेहनत से स्वयं अर्जित सम्पत्ति का हवाला दिया है जो कि मृतक अर्जुन के पास पूर्व में या मृत्यु के समय मेहनत से स्वयं अर्जित चल अचल सम्पत्ति विद्यमान नहीं है अर्थात अस्तित्व में नहीं है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 के द्वारा अर्जुन से कराई वसीयत अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी है। वसीयत में मृतक अर्जुन द्वारा मेहनत से स्वयं अर्जित चल–अचल सम्पत्ति के भूमि खसरा नं. भूमि कहाँ पर है, आदि कोई तहरीर तकमील (विवरण लिखावट) नहीं किया है इस वसीयत की आड में प्रतिवादी नं. 1 व 2 मृतक अर्जुन की पैतृक सम्पत्ति का मृतक अर्जुन द्वारा मेहनत की कमाई से स्वयं अर्जित भूमि बताकर गल, कपट द्वारा भूमि मुतदाविया में हिस्सा 2/3 प्राप्त करना चाहते हे जो कि गलत है, अवैध है एवं वसीयत शुन्य एवं निष्प्रभावी है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 हिस्सा वसीयत से कोई भी लाभ व अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। भूमि मुतदाविया में वादी हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नं 1 व 2 हिस्सा 1/2 है जिसे प्राप्त करने के अधिकारी है और उक्त भूमि मुतदाविया में वादी हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का हिस्सा 1/2 खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 बदनीयती से वादी की भूमि हडपने के लिये विधि विरूद्ध, काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है काउन्टर क्लेम प्रतिवादी का खर्चा मुकदमा के विशेष खर्चे के साथ खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में वादी वाद एवं जवाब प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की गयी। वादी की ओर से वाद की ताईद में छुट्टनलाल पुत्र स्व. भूरया एवं शांति देवी पत्नि स्व0 रामधन ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र एवं प्रतिवादीगण की ओर से किशन उर्फ किशना पुत्र प्रभात्या ने

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्यप्रतिवादी शपथ पत्र पेश किये। उभयपक्ष वकील द्वारा जिरह पूर्ण की गयी।

तदुपरांत हमने वादी एवं प्रतिवादीगण अभिभाषक बहस सुनी। उभयपक्ष वकुलाय ने वादपत्र एवं जबाब वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया वादी वकील ने वाद बाबत उद्घोषणा, सहखातेदारी, दुरूस्थी इन्द्राज खातेदारी एव स्थायी निषेधाज्ञा, तकास्मा डिक्री कर वादी को उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 198, 199, 200, 201, 203, 609, 618, 624, 634, 895, 469 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर रामा भांवता तहसील बसवा जिला दौसा में वादी को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने बाबत निवेदन किया गया तथा प्रतिवादीगण वकील द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा खारिज फरमाया जाकर व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नंबर एक व दो स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी में प्रतिवादी नंबर 01 व 02 को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर इन्द्राजात में दुरूस्ती किये जाने बाबत व प्रतिवादी नंबर एक व दो की 2/3 हिस्से की वादग्रस्त भूमि का सरस नरस विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण के 2/3 हिस्से की वादग्रस्त भूमि का अलग से पर्चा खातेदारी कायम किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वादी एवं प्रतिवादी अभिभाषक की बहस पर मनन किया, वादी वादपत्र एवं जबाब प्रतिवादीगण संलग्न राजस्व दस्तावेजात का कायम तनकीयात के मध्यनजर अवलोकन किया। वाद की ताईद में वादी द्वारा जमाबंदी प्रदर्श 01, खतौनी जमाबंदी 1994 ग्राम भांवता प्रदर्श 02, फाटबंदी 1998 ग्राम भांवता प्रदर्श 03, फाटबंदी संवत् 1999 ग्राम भांवता प्रदर्श 04, फाटबंदी संवत् 2001 ग्राम भांवता प्रदर्श 05, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2003 प्रदर्श 06, खतौनी एकीकरण संवत् 2017 प्रदर्श 07, मिलान क्षे. संवत् 2052–71 प्रदर्श 08, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2017 प्रदर्श 09, मिलान क्षे. संवत् 2003–2022 प्रदर्श 10, नामान्तकरण संख्या 422 प्रदर्श 11, जमाबंदी संवत् 2039–2052 प्रदर्श 12, जमाबंदी संवत् 2039–2052, प्रदर्श 13, जमाबंदी संवत् 2064–2067 प्रदर्श 14, जमाबंदी संवत् 2064–2067 प्रदर्श 15 पेश किये।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2064–67 राजस्व ग्राम भांवता खाता संख्या 22 नया 20 पुराना में किशना लटुरिया पि. प्रभात्या हि.ब. 1/4 एवं अर्जुन रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है। पत्रावली में अंकित सजरा खानदान अनुसार हीरा उर्फ हारया, अर्जुन, रामधन, प्रभात्या चारो एक ही पिता भूरया की संतान है। अर्जुन दिनांक 07.01.2012 को अविवाहित (लाऔलाद) फौत हो गया है। अर्जुन पुत्र भूरया ने अपने वसीयत पत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार स्वयं की जमीन व अन्य चल अचल सम्पत्ति का वारिस स्वयं की मृत्यु के बाद अपने सगे भाई प्रभात्या के दो पुत्र कमशः किशनलाल व लटूर पिसरान स्व0 प्रभात्या निवासी भांवता को घोषित किया है। वसीयत पंजीकृत व प्रमाणित है। उक्त वसीयत के संबंध में वादी

Scanned with OKEN Scanner

रामधन द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 बांदीकुई जिला दौसा में प्रस्तुत वाद के निर्णय दिनांक 06.04.2023 प्रदर्श ए 2 द्वारा वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है इसलिये प्रतिवादीगण द्वारा पेश वसीयत को वैध मानते हुये वादी द्वारा चाही गयी उद्घोषणा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादीगण द्वारा पेश काउण्टर क्लेम में वसीयत के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा, राजस्व जमाबंदी इन्द्राजात में दुरूस्ती एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की वादग्रस्त भूमि का सरस–नरस तकास्मा चाहा गया है परंतु प्रतिवादीगण के हिस्से की वादग्रस्त भूमि का राजस्व जमाबंदी इन्द्राजात में विधिवत दुरूस्ती हुये बिना वादग्रस्त भूमि का सरस नरस तकास्मा विधिक रूप से संभव नहीं है। अतः काउण्टर क्लेम में प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि के सरस नरस तकास्मा बाबत चाही गयी इस्तदुआ अस्वीकार की जाती है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम पेश वसीयत के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने, संलग्न दस्तावेजात अवलोकन के आधार पर वादी वाद दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि ग्राम रामा भांवता तहसील बसवा जिला दौसा मे स्थित काश्त खतौनी संख्या नई 22 पुरानी 20 खसरा नंबर 198, 199, 200, 201, 202, 203, ,618, 624, 634, 895, 469 कुल किता 12 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर में अर्जुन पुत्र भूरया द्वारा दिनांक 21.09.2010 को की गयी वसीयत यदि अंतिम है, वसीयत यदि निरस्त नहीं की गयी है, वसीयत यदि कानूनन सही है तो नियमानुसार वसीयत की विधिवत जॉच कर हिस्सा दुरूस्त करें। तहसीलदार बांदीकुई विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

25/3/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई
जज इजलास–श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई

1. रामधन पुत्र भूरया (फौत के बजाय)
1/1 शांति देवी पत्नी स्व. रामधन उम्र 70 वर्ष
1/2 गौणा देवी पुत्री स्व. रामधन उम्र 50 वर्ष
1/3 बाबूलाल पुत्र रामधन (फौत के बजाय)
1/3/1 सरोज देवी पत्नी स्व. बाबूलाल उम्र 40 वर्ष
1/3/2 नीरू पुत्री स्व. बाबूलाल
1/3/3 निरमा पुत्री स्व. बाबूलाल
1/3/4 हंसराज पुत्र स्व. बाबूलाल
1/3/5 नीतू पुत्री स्व. बाबूलाल
1/4 छुट्टन लाल पुत्र स्व. रामधन
1/5 ममता देवी पुत्री स्व. रामधन

समस्त जातियान मीना निवासी भांवता तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. किशन्या उम्र 56 वर्ष पुत्र प्रभात्या
2. लटूरिया पुत्र प्रभात्या (फौत के बजाय)
2/1 श्रीमती काली देवी पत्नी स्व. लटूरिया
2/2 रामकेश पुत्र स्व. लटूरिया
2/3 राजाराम पुत्र स्व. लटूरिया
2/4 लोकेश पुत्र स्व. लटूरिया
2/5 पिंकी पुत्री स्व. लटूरिया
2/6 सुमन पुत्री स्व. लटूरिया
2/7 हरिमोहन पुत्र स्व. लटूरिया

समस्त जाति मीना निवासी भांवता तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान

3. हीरा उर्फ हारया दत्तक पुत्र बद्री प्राकृतिक पिता भूरया जाति मीणा निवासी भांवता तह. बसवा जिला दौसा
4. श्रीमान उपपंजीयक अधिकारी जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बसवा जिला दौसा
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय बसवा जिला दौसा

दावा सहखातेदारी घोषणा, दुरूस्थी इन्द्राज खातेदारी व
स्थायी निषेधाज्ञा एवं तकास्मा
मुकदमा नं.–16/2012 सन्–2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण वकील–श्री एन. के. सलोटिया, श्री इन्द्रजीत कुण्डारा, श्री विशम्भर दयाल व हाजिरी प्रतिवादीगण वकील श्री विरेन्द्र सिंह, श्री सुभाष चन्द गुप्ता मिनजानिब मुद्दई रूबरू _____ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी वाद दावा उदघोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया

Scanned with OKEN Scanner

जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 3 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि ग्राम रामा भांवता तहसील बसवा जिला दौसा मे स्थित काश्त खतौनी संख्या नई 22 पुरानी 20 खसरा नंबर 198, 199, 200,201, 202, 203, ,618, 624, 634, 895, 469 कुल किता 12 कुल रकबा 2.83 हैक्टेयर में अर्जुन पुत्र भूरया द्वारा दिनांक 21.09.2010 को की गयी वसीयत यदि अंतिम है, वसीयत यदि निरस्त नहीं की गयी है, वसीयत यदि कानूनन सही है तो नियमानुसार वसीयत की विधिवत जॉच कर हिस्सा दुरूस्त करें। तहसीलदार बांदीकुई विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निज..................मुबलिग..................

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह..................बाबत..................

तारीख अदायगी तक.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 03 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..................
हाकिम

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)
25/3/25

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)
25/3/25